Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ ब्यावर में ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार को 6,000/— रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

जयपुर दिनांक 16 सितम्बर, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री अखिलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी, को परिवादी से **6,000/— रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर को एक लिखित शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के ग्राम पंचायत द्वारा की—मैन के पद पर नियूक्त होने से उसके माह जुलाई, अगस्त 2025 का प्रतिमाह 12,000/— रूपये के हिसाब से कुल 24,000/— रूपये का वेतन जमा करवाये जाने पर आरोपी अखिलेश कुमार द्वारा परिवादी से प्रतिमाह 3000/— रूपये के हिसाब से कुल 2 माह के वेतन के बदले मे 6,000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर अजमेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय श्री अनिल कयाल** के सुपरविजन मे एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना भाटी** के निर्देशन में दिनांक 12.09.25 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा कुल 6,000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग किया जाना पाया गया। जिस पर आज दिनांक 16.09.2025 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए ट्रेप कर्ता अधिकारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा** द्वारा आरोपी अखिलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी से **6,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।